क्रमांक 6659-2 जी0एस0-75/18118

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।

सेवा में

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला एवं हिसार मण्डल, सभी उपायुक्त तथा सभी उप मण्डल अधिकारी, हरियाणा

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरियाणा।

दिनांक चण्डीगढ़ 26-6-75.

विषय :—सिविल पदों पर भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति।

महोदय,

मुझे आदेश हुआ है कि मैं उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान इस विभाग के क्रमांक 4310-4 जी0एस0-II-72/26882, दिनांक 11-9-1972 की ओर आकर्षित करूं जिसमें यह सूचित किया गया था कि ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो प्रारम्भिक भर्ती के समय 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के हों, उन्हें टाईप परीक्षा पास करने की पूरी छूट होगी। अब इस सम्बन्ध में सहानुभूति पूर्वक विचार करने के पश्चात् यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को भी टाईप पास करने की छूट होगी जो प्रारम्भिक भर्ती के समय 45 वर्ष से कम आयु के थे, परन्तु सेवा में आने के पश्चात् भी 45 वर्ष की आयु तक टाईप टैस्ट पास नहीं कर सके। ऐसे केसों में वेतन वृद्धियां कर्मचारियों को उसी तिथि से दी जावेगी जिस तिथि को वे 45 वर्ष की आयु सीमा पूरी करेंगे।

इन आदेशों को विधिवत पालना के लिए नोट किया जावे और इस पत्र की पावती भेजी जावे।

भवदीय,

हस्ता/

उप सचिव, सामान्य प्रशासन,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक एक प्रति निम्नलिखित :—

वित्तायुक्त, हरियाणा तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।